इकाई 6 स्थानीय एवं वैश्विक सार्वजनिक वस्तुएँ

संरचना

6.0 उद्देश्य

6.1 विषय प्रवेश

6.2 स्थानीय सार्वजनिक वस्तुएँ
- 6.2.1 टाइबाउट मॉडल
- 6.2.2 क्लब वस्तुएँ

6.3 वैश्विक सार्वजनिक वस्तुएँ
- 6.3.1 शांति एवं सुरक्षा
- 6.3.2 विश्व शांति सूचकांक (GPI)

6.4 पर्यावरण एवं गरीबी निवारण विषयक जीपीजी संदर्श
- 6.4.1 वैश्विक सार्वजनिक वस्तु स्वरूप ज्ञान

6.5 सार-संक्षेप

6.6 शब्दावली

6.7 कुछ उपयोगी पुस्तकें

6.8 बोध प्रश्नों के उत्तर अथवा संकेत

6.0 उद्देश्य

प्रस्तुत इकाई को पढ़ने के बाद, आप इस योग्य होंगे कि :

- स्थानीय 'सार्वजनिक वस्तुओं (LPGs) के विशिष्ट अभिलक्षण बता सकें;
- प्रभावी स्थानीय सार्वजनिक वस्तुएँ प्रदान करने हेतु टाइबाउट मॉडल की अनुप्रयोज्यता पर चर्चा कर सकें;
- 'क्लब वस्तुओं' और 'सार्वजनिक वस्तुओं' के बीच सोदाहरण अंतर स्पष्ट कर सकें;
- विश्व-शांति एवं वैश्विक सार्वजनिक वस्तुओं हेतु 'शांति एवं सुरक्षा' के महत्त्व पर बल दे सकें;
- 'विश्व-शांति सूचकांक' (GPI) पर कोई टिप्पणी लिख सकें;
- पर्यावरण एवं गरीबी निवारण विषयक वैश्विक सार्वजनिक वस्तुओं का संदर्श प्रस्तुत कर सकें; तथा
- स्पष्ट कर सकें कि किस प्रकार 'ज्ञान' को एक 'वैश्विक सार्वजनिक वस्तु' (GPG) माना जाता है।

6.1 विषय प्रवेश

निजी वस्तुओं से भिन्न, किसी सार्वजनिक वस्तु के दो महत्त्वपूर्ण अभिलक्षण होते हैं, यथा – उपभोग में (i) गैर-अपवर्ज्यता, तथा (ii) गैर-प्रतिस्पर्ध्येता। 'सार्वजनिक वस्तुओं' में

'मुफ्तखोरी समस्या' की वजह से बाज़ार विफलता घटित होती है। यहाँ सार्वजनिक व्यय के माध्यम से 'सार्वजनिक वस्तुओं एवं सेवाओं' के उत्पादन एवं प्रावधान हेतु सरकारी हस्तक्षेप अपेक्षित होता है। इस संदर्भ में, 'स्थानीय सार्वजनिक वस्तुएँ' वे वस्तुएँ होती हैं जो स्थानीय जन समुदाय के उपभोगार्थ स्थानीय निकायों द्वारा प्रदान की जाती हैं। 'वैश्विक सार्वजनिक वस्तुएँ' (GPGs), दूसरी ओर, 'ज्ञान' सरीखी ऐसी वस्तुएँ होती हैं जिनके लाभ आमतौर पर अखिल विश्व अथवा मानव मात्र को फायदा पहुँचाते हुए राष्ट्रीय सीमाओं से परे भी पहुँचते हैं (जैसे– किसी भयंकर रोग हेतु कोई टीका)। इस तथ्य के आलोक में, निम्नलिखित को 'वरीयतापूर्ण' अभिलक्षणों स्वरूप वैश्विक सार्वजनिक वस्तुएँ (GPG) माना गया है–(क) संक्रामण रोग का निगर्मन एवं प्रसार रोकना, (ख) जलवायु परिवर्तन से निबटना, (ग) अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय स्थिरता बढ़ाना, (घ) अंतर्राष्ट्रीय व्यापार-प्रणाली को सुदृढ़ करना, (ङ) शांति एवं सुरक्षा हासिल करना, तथा (च) ज्ञान-सृजन करना। इस प्रकार, स्थानीय एवं वैश्विक सार्वजनिक वस्तुओं के बीच विशिष्ट अंतर हैं, जिनमें से प्रत्येक के लिए सुस्पष्ट नीति दृष्टिकोण अपेक्षित है।

6.2 स्थानीय सार्वजनिक वस्तुएँ

स्थानीय सार्वजनिक वस्तुएँ (LPGs) स्थानीय जनसमुदाय के उपभोगार्थ मुख्यतः स्थानीय निकायों द्वारा स्थापित 'सामान्य संपदा संसाधनों' जैसी वस्तुएँ होती हैं। प्रशासनिक दृष्टिकोण से, स्थानीय निकायों को स्थानीय सार्वजनिक वस्तुओं एवं सेवाओं के प्रावधान में कुछ विशेष लाभ प्राप्त होते हैं। ये हैं– (i) उनके प्रावधान में वांछित स्थानीय जानकारी (जैसे– स्थानीय अधिमान), (ii) लाभों एवं लागतों का स्थानीय प्रोद्भवन, तथा (iii) स्थानीय स्तर पर समुचित प्रोत्साहन। विश्वभर में स्थानीय सरकारें नाना प्रकार की स्थानीय सावर्जनिक वस्तुएँ प्रदान करती हैं (उदाहरणार्थ, (i) जलापूर्ति एवं मल-जल व्ययन, (ii) गलियों में प्रकाश एवं खंडजा या पटरी, (iii) अपशिष्ट प्रबंधन, (iv) पार्क एवं आमोद-प्रमोद हेतु स्थान, (v) सड़कें एवं यातायात प्रबंधन, (vi) संग्रहालय एवं चित्रशालाएँ, (vii) पुस्तकालय एवं तैरने के तालाब, (viii) शिक्षा एवं स्वास्थ्यरक्षा, तथा (ix) सामाजिक आवास)। ये सार्वजनिक वस्तुएँ उनके विभेदक कारक दर्शा सकते हैं, जिनके आधार पर उन्हें इन दो वर्गों में विभाजित किया जा सकता है – (i) अमिश्रित सार्वजनिक वस्तुएँ अथवा आंशिक/अर्ध-सार्वजनिक वस्तुएँ, तथा (ii) वे सार्वजनिक वस्तुएँ जिन्हें निजी अभिकरणों द्वारा प्रदान किया जा सकता है। तालिका 6.1 अपने प्रयोग विस्तार के पदों में एक 'निम्न-मध्यम-उच्च' त्रि-विभाजन पर आधारित सार्वजनिक वस्तुओं के वर्गीकरण के मापदंड दर्शाती है।

तालिका 6.1 : स्थानीय सार्वजनिक वस्तुओं एवं सेवाओं के अभिलक्षण

उपभोग की अपवर्ज्यता	**उपभोग में प्रतिस्पर्धा**			
		निम्न	*मध्यम*	*उच्च*
	निम्न	स्ट्रीट लाइट्स, पार्क एवं आमोद-प्रमोद	गलियाँ, खड़ंजा या पटरी	––
	मध्यम	बाढ़ से बचाव	क्रीड़ा-स्थल, जन-सुविधाएँ	प्रमुख मार्ग, आर्थिक विकास
	उच्च	संग्रहालय एवं चित्रशालाएँ	पुस्तकालय, तैरने का तालाब, आमोद-प्रमोद स्थल	जन परिवहन, मलजल एवं अवशिष्ट निपटान, पार्किंग

सार्वजनिक अभिकरणों द्वारा सार्वजनिक वस्तुओं एवं सेवाओं का प्रावधान सेवाओं की लागतों पर आधारित होता है (न कि माँग पर, जैसा कि निजी वस्तुओं/सेवाओं के

मामले में होता है)। उपभोक्ता माँग को, यहाँ विचारणीय नहीं माना जाता। लोक चयन सिद्धांत कहता है कि उपभोक्ता की मांग को किसी लोकतांत्रिक राजनीतिक प्रक्रिया के माध्यम से प्रकाश में लाया जाना चाहिए। उदाहरण के लिए, किसी भी लोकतंत्र में नागरिक अपना अधिमान व्यक्त करने के लिए सार्वजनिक वस्तुओं/सेवाओं की प्रमात्रा के 'पक्ष में अथवा विपक्ष में' सुस्पष्ट रूप से मत दे सकते हैं। माध्यिका मतदाता चयन के अधिमान को माँग की पहचान स्वीकार किया जाता है। बहरहाल, स्थानीय सरकार द्वारा प्रदत्त सार्वजनिक वस्तुओं/सेवाओं के प्रत्येक समूह हेतु 'माध्यिका मतदाता चयन' ज्ञात करना दुष्कर अथवा महँगा हो सकता है। इसके अलावा, प्रतिनिधिक लोकतंत्र में, निर्वाचित राजनीतिज्ञ, जो सार्वजनिक वस्तु/सेवा प्रावधान की प्रमात्रा चुनते हैं, शायद जनता की पसंद प्रकट न कर पाते हों। फिर भी, स्थानीय सरकारें एक लंबे समय से स्थानीय सार्वजनिक वस्तुएँ (एवं सेवाएँ) प्रदान करती आ रही हैं, उनके चयन काफी हद तक राजनीतिक एवं नौकरशाही व्यवस्था के नियंत्रण को ही व्यक्त करते हैं। इस प्रकार, यहाँ 'नागरिक-उपभोक्ता' चयन की व्याख्या का अभाव दृष्टिगत होता है। टाइबाउट इसकी व्याख्या निम्नवत् प्रस्तुत करने का प्रयास करते हैं।

6.2.1 टाइबाउट मॉडल

टाइबाउट का मानना था कि सार्वजनिक वस्तुओं संबंधी उपभोक्ता के अधिमान/चयन का स्थानीय सरकारों के किसी 'प्रतिस्पर्धी महानगरीय बाज़ार– के माध्यम से प्रग्रहण किया जा सकता है। उक्त विद्वान के पास स्थानीय सार्वजनिक वस्तुओं पर व्यय का स्तर निर्धारित करने हेतु एक 'बाज़ार सरीखा' समाधान है। इसके लिए, वह मस्ग्रेव-सैम्युल्सन के विश्लेषी प्राधार को आगे बढ़ाते हैं। सार्वजनिक वस्तुओं के प्रति मस्ग्रेव-सैम्युल्सन के दृष्टिकोण में मुख्य मुद्दा है – 'उस क्रियाविधि का अभाव' जिसके द्वारा सार्वजनिक वस्तुओं हेतु उपभोक्ता अधिमान मापे जा सकें'। ऐसा इसलिए है कि बुद्धि संपन्न उपभोक्ता वर्ग कम कर चुकाने के लिए वस्तुओं के लाभ विषयक अपने अधिमान कम करके बता सकता है। टाइबाउट का सरोकार इन उपभोक्ता अधिमानों को 'सही-सही उजागर' करवाने से ताल्लुक रखता है ताकि वह निजी वस्तुओं के उपभोग की भाँति संतुष्ट महसूस कर सकें। इससे उस पर तद्नुसार ही कर लगाया जा सकेगा। टाइबाउट का सिद्धांत कुछ अवधारणाओं पर आधारित है। ये हैं– (i) उपभोक्ता-मतदाता पूरी तरह गतिशील होते हैं और उस बिरादरी की ओर चल देते हैं जहाँ उनके अधिमान प्रतिमानों को, जो कि तय हैं, सर्वोत्तम संतुष्टि मिलती हो; (ii) माना जाता है कि उपभोक्ता-मतदाता राजस्व एवं व्यय के बीच भिन्नताओं की पूरी जानकारी रखते हैं और इन भिन्नताओं के प्रति अनुक्रिया करते हैं; (iii) ऐसे समुदाय बड़ी संख्या में हैं जिनमें उपभोक्ता-मतदाता रहना पसंद कर सकते हैं; (iv) जनसमुदाय को 'लाभांश' मुक्त आय पर जीवन-निर्वाह करने वाला माना जाता है, जिससे वह रोज़गार प्रतिबंधों से रहते हैं; (v) प्रदत्त सार्वजनिक वस्तुएँ/सेवाएँ कोई भी बाह्य मितव्ययता अथवा अमितव्ययता नहीं दर्शाती हैं; (vi) सामुदायिक सेवाओं के प्रत्येक तय प्रतिमान हेतु लागत का कोई इष्टतम आकार होता है; तथा (vii) अनुकूलतम आकार से नीचे के समुदाय नए निवासियों को आकर्षित करते हैं ताकि औसत लागत कम हो सके जबकि उससे ऊपर के समुदाय इसके विपरीत व्यवहार करते हैं। वे जो अनुकूलतम स्थिति में होते हैं, अपनी जनसंख्या 'अचर' रखने का प्रयास करते हैं।

अवधारणाओं की उपर्युक्त शृंखला के तहत, उपभोक्ता-मतदाता की गतिशीलता इष्टतम से कहीं अधिक बड़े आकार के समुदाय से इष्टतम से कहीं छोटे आकार के समुदाय की ओर दिखाई पड़ती है ताकि उपभोक्ता वर्ग के अधिमान प्रतिमान को संतुष्ट किया जा सके। इस प्रक्रिया में, सार्वजनिक वस्तुओं/सेवाओं की आपूर्ति करने में हर किसी का अपना अधिकार क्षेत्र निम्नतर औसत लागतों (लागत-दक्ष) पर काम करता है। परिवर्तन करने (अथवा परिवर्तन करने में विफल होने) की क्रिया किसी वस्तु को खरीदने-की-इच्छा के सामान्य बाज़ार परीक्षण का स्थान ले लेती है, जिससे उस सार्वजनिक वस्तु (अथवा वैयक्तिक कर से जुड़ी सार्वजनिक वस्तुओं की किसी शृंखला) हेतु उपभोक्ता-

मतदाता की माँग उजागर होती है। तद्नुसार, हर स्थान का अपना एक राजस्व एवं व्यय प्रतिमान होता है जो कि उसके निवासियों की इच्छा प्रतिबिंबित करता है। यह अपनी उन वस्तुओं को खरीदने के लिए किसी निजी बाज़ार में आने वाले उपभोक्ता के अनुरूप होता है जिनके दाम पहले से तय होते हैं। दूसरे शब्दों में, टाइबाउट उपभोक्ताओं को किसी समुदाय में चलकर आने की एक ऐसी स्थिति में रखते हैं जहाँ सामुदायिक सेवाओं के दाम पूर्व-निर्धारित होते हैं। तद्नुसार, स्थानिक गतिशीलता स्थानीय सार्वजनिक वस्तुओं को एक निजी बाज़ार की खरीददारी यात्रा जैसा अनुभव मुहैया करा देती है। टाइबाउट के शब्दों में, गतिशीलता द्वारा किसी अवस्थिति का अधिमान चयन सार्वजनिक वस्तु/सेवा के उपभोग चयन का संकेत ठीक उसी प्रकार करता है जैसे कि किसी शॉपिंग मॉल में उपभोक्ता का चयन निजी वस्तु/सेवा संबंधी उसके उपभोग चयन का संकेत करता है।

नीतिगत निहितार्थ : टाइबाउट द्वारा तीन नीतिगत निहितार्थ प्रस्तुत किए गए हैं। ये हैं – (i) नगरीय एकीकरण तभी न्यायसंगत होगा जब किसी भी सेवा को किसी भी अन्य सेवा में कोई भी कमी किए बगैर उसी कुल लागत पर प्रस्तुत किया जाए। इसका अर्थ है कि महानगरीय समेकन पर केवल उस स्थिति में विचार किया जाए जब वह उसी कर लागत पर लोक सेवाओं के अपेक्षाकृत अधिक प्रावधान संभव बनाता हो। (ii) ऐसी नीतियाँ जो आवासीय गतिशीलता को प्रोत्साहित (एवं उपभोक्ता-मतदाता का ज्ञानवर्धन) करती हों, ठीक उसी प्रकार सरकारी खर्चों के नियतन में सुधार लाएंगी जैसे कि नौकरियों में परिवर्तनशीलता निजी संसाधनों के नियतन में सुधार ला देती है। (iii) निर्धारित राजस्व-व्यय प्रतिमान की नीति बड़े, गतिशील महानगरों में नहीं बल्कि केवल छोटे ग्रामीण एवं उपनगरीय स्थानों पर ही संभव है। ऐसा स्थानीय सार्वजनिक वस्तुओं की प्रकृति की वजह से होता है क्योंकि छोटे इलाकों के लोग नागरिक अधिमानों के समान ही दक्षतापूर्वक खर्च करते हैं। इन सबसे अलावा, मुख्य नीति निहितार्थों में एक जो कि टाइबाउट द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया (बल्कि तंदतर दूसरों द्वारा स्पष्ट किया गया है), यह है कि विकेंद्रीकरण किसी केंद्रीयकृत दृष्टिकोण की अपेक्षा महानगरीय क्षेत्रों के शासन हेतु बेहतर काम करता है। यद्यपि विकेंद्रीकरण हेतु तर्क 'राजकोषीय संघवाद के सिद्धांत' से आया है, टाइबाउट का सिद्धांत जन-सामान्य को अपनी पसंद की वस्तुएँ/सेवाएँ प्रदान कर जनता की सेवा करने के एक बेहतर साधन स्वरूप विकेंद्रीकरण का समर्थन करता है। दूसरे शब्दों में, टाइबाउट का सिद्धांत लोक वित्त, नीति एवं प्रशासन के 'विकेंद्रीकरण सिद्धांत' का समर्थन करता है।

टाइबाउट मॉडल की समीक्षा : टाइबाउट के सिद्धांत की प्रमुख समालोचनाओं में एक यह है : चूँकि 'संकुलन एवं आकारिक मितव्ययता' वृहद् महानगरीय क्षेत्रों में एक महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, कोई एकल प्राधिकरण लाभों में वृद्धि कर प्रतिस्पर्धी बहुविध स्थानीय सरकारों की अपेक्षा बेहतर प्रदर्शन कर सकता है। एक दूसरी समालोचना यह है कि यह समता आयाम की उपेक्षा करता है। लोगों की अधिमानों के अनुसार, छंटाई अवांछित परिणामों को बढ़ावा दे सकती है (जैसे– जातीय पृथक्करण, आय द्वारा लोगों का पृथक्करण)। एक तीसरी आलोचना यह है कि बहुविध अधिकारक्षेत्र (टाइबाउट मॉडल के तहत) विखंडन एवं प्रचुरोद्भवन की ओर अग्रसर कर सकते हैं, जो कि शहर (उपगनर) के बेतरतीब फैलाव एवं पेचीदा महानगरीय शासन (यथा, समन्वयन एवं उत्तरदेयता मामले) की ओर ले जा सकता है। यह चौथी समालोचना यह है कि कुछ अप्रमाणिक आर्थिक सिद्धांत समूह (जो कि स्थानीय सार्वजनिक वस्तुओं की संकल्पना में विश्वास नहीं करते) व्यक्तियों/फर्मों के पुनर्वास हेतु गतिशीलता का संकेत करने के लिए किसी साधन स्वरूप कराधान की उपयोगिता से सहमत नहीं हैं।

6.2.2 क्लब वस्तुएँ

क्लब वस्तुएँ इस प्रकार की वस्तुएँ हैं जो कम से कम एक ऐसे बिंदु पर पहुँचने तक अपवर्ज्य परंतु गैर-प्रतिस्पर्ध्येय (अर्थात् उनके लिए होड़ नहीं की जा सकती) होती हैं जहाँ संकुलन आरंभ हो जाता हो। क्लब वस्तुएँ कृत्रिम अभाव दर्शाती हैं, जिससे उपभोग

अभिलक्षणों में उनकी उच्च अपवर्ज्यता, परंतु, निम्न प्रतिद्वंद्विता प्रकट होती है। इनकी अनिवार्यतः 'शून्य सीमांत लागत' होती है और आमतौर पर सहज एकाधिकारों द्वारा आपूर्ति की जाती हैं। बॅकनन (1965) 'एन इकोनोमिक थ्योरी ऑफ क्लब्स' विषयक अपनी पुस्तक में इस प्रश्न को उठाते हैं कि समूह का आकार किस प्रकार सामूहिक स्वामित्व-उपभोग व्यवस्थाओं का एक सैद्धांतिक प्राधार प्रदान कर किसी 'सार्वजनिक वस्तु' के स्वैच्छिक प्रावधान को प्रभावित करता है (तालिका 6.2)। वे 'स्वैच्छिक क्लबों' पर यह दर्शाने के लिए विचार करते हैं कि किस प्रकार इस तरह के किसी क्लब के सदस्यों की एक इष्टतम संख्या उसके सदस्यों के लिए उपयोगिता अधिकतम कर सकती है। वह इस अवधारणा की व्याख्या के लिए 'जूते' जैसी किसी निजी वस्तु का उदाहरण लेते हैं। दो व्यक्ति एक ही समय पर एक ही जूतों की जोड़ी नहीं पहन सकते। परंतु दो या दो से अधिक लोग बारी-बारी से उन्हें पहन सकते हैं। अब चूँकि जूतों की एक सी जोड़ी साझा करने वाले लोगों की संख्या बढ़ती है, जूतों से प्रत्येक व्यक्ति हेतु व्युत्पन्न उपयोगिता की मात्रा घट जाती है। प्रत्येक नया सदस्य (अथवा सह-स्वामी) 'क्लब वस्तु' की लागत कम करने में मदद करता है, परंतु एक इष्टतम आकार होता है जो सदस्यों के लिए लाभ अधिकतम करता है।

तालिका 6.2 : क्लब वस्तुएँ और सार्वजनिक वस्तुएँ

	निजी वस्तुएँ	**साझा निकाय संसाधन**
प्रतिस्पर्ध्येय	खाद्य, वस्त्र, कारें, पार्किंग स्थल	मत्स्य भंडार, इमारती लकड़ी, कोयला
गैर-प्रतिस्पर्ध्येय	**क्लब वस्तुएँ** सिनेमा, निजी पार्क, सैटेलाइट, टीवी	**सार्वजनिक वस्तुएँ** फ्री-टु-एअर, टीवी चैनल, राष्ट्रीय सुरक्षा

बोध प्रश्न 1 (नीचे दिए गए स्थान में अपना उत्तर लगभग 50–100 शब्दों में दें।)

1) 'स्थानीय सार्वजनिक वस्तुओं' को सोदाहरण परिभाषित करें।

.....

.....

.....

.....

.....

2) स्थानीय सरकारों द्वारा स्थानीय सार्वजनिक वस्तुओं के प्रावधान में विद्यमान 'अंतर' को आप कैसे पहचानेंगे? यह अंतर क्यों होता है? सिद्धांततः इस अंतर को किस प्रकार पाटा जा सकता है?

.....

.....

.....

.....

.....

3) टाइबाउट मॉडल/सिद्धांत का सार प्रस्तुत करें।

.....

.....

.....

.....

.....

4) टाइबाउट सिद्धांत के 'नीतिगत निहितार्थ' प्रस्तुत करें।

.....

.....

.....

.....

.....

5) वे कौन-से आधार हैं जिन पर 'टाइबाउट के सुझावों' की आलोचना की जाती है?

.....

.....

.....

.....

.....

6) 'क्लब वस्तुओं' और 'सार्वजनिक वस्तुओं' के बीच सोदाहरण अंतर स्पष्ट करें।

.....

.....

.....

.....

.....

6.3 वैश्विक सार्वजनिक वस्तुएँ

विश्व बैंक 'वैश्विक सार्वजनिक वस्तुओं' (GPGs) को इन शब्दों में परिभाषित करता है – 'विकास करने एवं गरीबी घटाने के लिए आवश्यक सीमापार बाह्यताओं के साथ वस्तुओं, जिंसों, सेवाएँ एवं (नियमों अथवा नीति पथ्यापथ्य नियमों संबंधी) प्रणालियाँ' इन वस्तुओं की केवल देशों (विकसित एवं विकासशील दोनों), के सहयोग एवं सामूहिक कार्रवाई के माध्यम से ही पर्याप्त मात्रा में आपूर्ति की जा सकती है। वैश्विक सार्वजनिक वस्तुएँ, तद्नुसार, वे वस्तुएँ (सभी को लाभ प्रदान करने वाली) हैं जो निम्नलिखित अभिलक्षण दर्शाती हों– (i) वे अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव वाली (और इसलिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग चाहने वाली) और व्यक्तियों, समुदायों एवं राष्ट्रों द्वारा प्रदत्त सार्वजनिक वस्तुएँ होती हैं; (ii) वे अनिवार्यतः वस्तुओं के स्तर-निर्धारण में जन-भागीदारी पूर्ण होती हैं; (iii) इनके लाभों का

प्रोद्भवन विभिन्न समूहों की क्षमताओं एवं सुगमता-लागत पर निर्भर करता है; तथा (iv) ये विकासशील देशों की विशिष्ट समस्याओं हेतु वरीयता दर्शाती हैं। अतएव, तीन अर्थात् 'सार्वजनिकता का त्रिभुज' (यथा– वितरण में सार्वजनिकता) ही वह कारक है जो यह तय करता है कि किसी वस्तु को एक वैश्विक सार्वजनिक वस्तु (GPG) माना जाए अथवा नहीं। यह संकल्पना अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के प्राधार, निर्णयन प्रक्रियाओं, निगमों के निर्माण एवं प्रवर्तन तथा सदस्य देशों के बीच निवल लाभों के वितरण का मूल्यांकन करने हेतु प्रयोग की जाती है। 'सार्वजनिकता के त्रिभुज' संबंधी संकल्पना उक्त वस्तुओं (GPGs) की आपूर्ति हेतु किसी निष्पक्ष सांस्थानिक क्रियातंत्र का अभिकल्प करने में उपयोगी सिद्ध होती है।

सार्वजनिक वस्तुओं (PGs) को उनके भौगोलिक अथवा अधिप्लव क्षेत्र के अनुसार भी वर्गीकृत किया जा सकता है। यही वह कार्यक्षेत्र है जिसके भीतर रहकर उनके लाभ (अथवा अपलाभ) महसूस किए जाते हैं। अपने कार्यक्षेत्र के आधार पर, वैश्विक सार्वजनिक वस्तुओं (GPGs) को निम्नवत् वर्गीकृत किया जा सकता है – (i) स्थानीय (किसी छोटे-से स्थान को प्रभावित करने वाले लाभ), (ii) राष्ट्रीय (किसी राष्ट्र से संबद्ध), (iii) क्षेत्रीय (राष्ट-समूहों से संबद्ध), तथा (iv) वैश्विक (समस्त संसार से संबद्ध)। इस प्रकार, किसी व्यक्ति द्वारा डाला गया कूड़ा-करकट एक स्थानीय लोक 'अहित' होगा क्योंकि उसकी दुर्गंध से केवल एक छोटा-सा स्थान ही प्रभावित होगा। किसी धनी व्यक्ति द्वारा किसी सार्वजनिक पार्क हेतु दिया गया दान भी उसी श्रेणी में आएगा। आपको सुरक्षा का एहसास कराने वाला रक्षा व्यय पूरे राष्ट्र के लिए एक लोक 'हित' कहलाएगा। व्यापक समूह एक क्षेत्रीय हित होता है क्योंकि यह राष्ट्रों के समूह को लाभान्वित करता है। हरितगृह गैस उत्सर्जन एक वैश्विक लोक 'अहित' है क्योंकि यह पूरे संसार के लोगों को प्रभावित करता है। सहस्राब्दि विकास लक्ष्यों (MDGs) की उपलब्धि सभी राष्ट्रों की जनसंख्या को उक्त वस्तुओं (GPGs) के लाभ पहुँचना सुनिश्चित करने के बराबर है (तालिका 6.3) और इसीलिए MDGs असंविध रूप से सभी GPGs में सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण है।

तालिका 6.3 : वैश्विक सार्वजनिक वस्तुओं के रूप में सहस्राब्दि विकास लक्ष्य

लक्ष्य	GPG का प्रकार
निर्धनता एवं भूख का यथासंभव अधिकतम उन्मूलन करना	हित वस्तुएँ, वैश्विक लोक चयन द्वारा GPG
सर्वजनीन प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराना	हित वस्तु, वैश्विक लोक चयन द्वारा GPG
एच.आई.वी./एड्स, मलेरिया व अन्य रोगों की रोकथाम करना	GPG
लिंग समानता एवं नारी सशक्तीकरण को प्रोत्साहन देना	GPG
'पर्यावरणीय धारणीयता' सुनिश्चित करने के लिए निम्नलिखित उपाय करना : • देशों की नीतियों में 'धारणीय विकास' के सिद्धांतों का समेकन एवं पर्यावरण संसाधनों की हानि का निवारण करना; • वर्ष 2015 तक सुरक्षित पेयजल की धारणीय सुलभता रहित लोगों की संख्या आधी करना; तथा	GPG, हित वस्तु, वैश्विक लोक चयन (तीनों बिंदु)

• वर्ष 2020 तक कम से कम 10 करोड़ गंदी बस्तियों में रहने वाले लोगों के जीवन में सार्थक सुधार लाना।	
'विकास हेतु वैश्विक साझेदारी' विकसित करने के लिए निम्नलिखित उपाय करना : • निर्बंध, नियम-आधारित, पूर्वानुमेय, भेदभाव रहित व्यापार एवं वित्त व्यवस्था विकसित करना; • राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय, दोनों रूप से, उत्तम शासन, विकास एवं गरीबी निवारण के प्रति वचनबद्धता का समावेश करना; तथा • अल्प-विकसित/स्थलरुद्ध देशों एवं छोटे विकासशील देशों की विशिष्ट आवश्यकताओं का ध्यान रखना।	GPG GPG वैश्विक लोक चयन द्वारा GPG (समता हेतु)

6.3.1 शांति एवं सुरक्षा

विश्व शांति सभी देशों एवं समुदायों के बीच एवं उनके भीतर भी एक 'स्वतंत्रता, शांति एवं प्रसन्नता' का आदर्श है। विश्व शांति भूमंडलीय अहिंसा की अवधारणा भी है, जिसके द्वारा राष्ट्र स्वेच्छापूर्वक परस्पर सहयोग करते हैं (स्वैच्छया अथवा युद्ध रोकने वाली किसी शासन व्यवस्था के आधार पर)। 'विश्व शांति' पदबंध को प्रायः समस्त मानव जाति के बीच समस्त शत्रुता के अंत के अर्थ में प्रयोग किया जाता है। उदाहरण के लिए, विश्व शांति में सीमाओं के उल्लंघन हेतु स्वीकृति के लिए (मानवाधिकारों, जीव-जंतु अधिकारों, प्रौद्योगिकी, शिक्षा, अभियांत्रिकी, चिकित्साशास्त्र, राजनीतज्ञों के माध्यम से), अथवा सभी प्रकार के झगड़ों को समाप्त करने के लिए समझौता शामिल हो सकता है। वर्ष 1945 से ही संयुक्त राष्ट्र संघ बिना युद्ध के विवादों को हल करने के लिए प्रयास करता रहा है। तथापि, राष्ट्र अनेक सैन्य विवादों में पड़े रहे हैं। मानव के कष्ट एवं युद्धों की महाकाय आर्थिक लागतों व उनके दुष्परिणामों को कम करने का सर्वाधिक प्रभावी तरीका उन्हें पहले ही रोक देना है। इस कार्य में, कूटनीति, उपयुक्त सहायता एवं मध्यस्थता के सहारे 'युद्ध रोकने' में संयुक्त राष्ट्रसंघ एक महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाता है। शांति स्थापित करने में यह संगठन जिन उपायों का प्रयोग करता है, वे हैं – विशेष दूत एवं राजनीतिक शिष्ट मंडल।

युद्ध से बचकर शांति के कठिन मार्ग पर चलने में मेजबान देशों की मदद करने में 'शांति स्थापना' संयुक्त राष्ट्रसंघ के सर्वाधिक प्रभावकारी उपायों में एक सिद्ध हुआ है। उसकी बहुआयामी शांति-स्थापना संक्रियाओं का आह्वान न सिर्फ शांति एवं सुरक्षा कायम करने के लिए किया जाता है, बल्कि विविध कारणों से भी किया जाता है (उदाहरणार्थ– राजनीतिक प्रक्रिया सरल बनाना, असैनिक जनसमुदाय की संरक्षा, निःशस्त्रीकरण में मदद, पूर्व लड़ाकुओं के सैन्य वियोजन एवं पुनरेकीकरण, संवैधानिक प्रक्रियाओं एवं चुनाव आयोजित करने में सहायता, मानवाधिकारों को संरक्षण एवं प्रोत्साहन प्रदान करना, कानून का शासन पुनर्स्थापित करने एवं विधिसम्मत राज्याधिकार प्रदान करने में मदद, आदि)। शांति स्थापना संकार्यों के लिए अधिदेश संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद से प्राप्त होता है, जिसे सैन्य दलों एवं आरक्षी बलों का सहयोग सदस्य राष्ट्रों से प्राप्त होता है। संयुक्त राष्ट्र के शांति-स्थापना क्रियाकलापों के लक्ष्य निम्नलिखित होते हैं– (i) देशों को युद्ध से उबरने में मदद करना, (ii) फिर से युद्ध में पड़ जाने का खतरा कम करना, और (iii) धारणीय शांति एवं विकास हेतु आधार तैयार करना। आतंकवाद के विरुद्ध अखिल विश्व की लड़ाई में समन्वयन लाने हेतु संयुक्त राष्ट्र का उत्तरोत्तर आह्वान किया जा रहा है। वह अणु अस्त्रों व अन्य 'महाविनाश के

हथियारों' का निराकरण करने तथा परंपरागत आयुधों के विनियमन करके अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा को अग्रगति प्रदान करता है।

6.3.2 विश्व शांति सूचकांक (GPI)

विश्व शांति सूचकांक (GPI) किसी राष्ट्र (अथवा क्षेत्र) की शांति प्रियता की आपेक्षिक स्थिति का मापदंड होता है। यह सूचकांक 163 स्वतंत्र राष्ट्रों/देशों एवं क्षेत्रों (जो कि विश्व जनसंख्या का 99.7 प्रतिशत लेकर चलता है) को क्रमानुसार व्यवस्थित करता है। यह सूचकांक, दरअसल, एक रिपोर्ट है जो इकोनोमिस्ट इंटेलीजेंस इकाई द्वारा संग्रहित आँकड़ों के साथ 'अर्थशास्त्र एवं शांति संस्थान' (IEP) द्वारा प्रस्तुत की जाती है। यह सूचकांक सर्वप्रथम मई 2007 में शुरू किया गया, जिसके बाद की रिपोर्टें वार्षिक रूप से जारी की गई। वर्ष 2017 में इसने 163 देशों को क्रमानुसार व्यवस्थित किया। यह सूचकांक विश्व शांति को तीन व्यापक प्रकरणों का प्रयोग कर मापा जाता है, यथा– (i) सामाजिक सुरक्षा एवं अभय का स्तर, (ii) चल रहे घरेलू एवं अंतर्राष्ट्रीय संघर्ष की विस्तृति, और (iii) सैन्यीकरण की कोटि। इसमें आंतरिक (जैसे– हिंसा और अपराध) तथा बाह्य (सैन्य व्यय युद्ध) कारक सम्मिलित हैं। इसमें महिलाओं एवं बच्चों के विरुद्ध हिंसा से विशिष्ट रूप से जुड़े संकेतकों को शामिल न करने के लिए इसकी आलोचना की गई है।

तथापि, इन विषयों पर विश्वसनीय अंतर्राष्ट्रीय आँकड़े या तो अनुपलब्ध होते हैं या फिर अनेक देशों में बहुत कम प्रस्तुत किए जाते हैं। वर्ष 2018 के सूचकांक GPI के अनुसार आइसलैंड, न्यूज़ीलैंड, ऑस्ट्रिया, पुर्तगाल एवं डेनमार्क सर्वाधिक शांतिप्रिय देश हैं और सीरिया, अफगानिस्तान, दक्षिण सूडान, इराक एवं सोमालिया अल्पतम शांतिप्रिय। वर्ष 2017 के सूचकांक (GPI) के दीर्घावधि निष्कर्षों में शामिल हैं– गत दशकों में दृष्टिगत एक अल्प-शांतिप्रिय विश्व; सर्वाधिक एवं अल्पतम शांतिप्रिय देशों के बीच शांति में बढ़ती असमानता; तथा आतंकवाद का बढ़ता प्रभाव और विगत वर्षों में आतंकवादी घटनाओं में मारे गए लोगों की काफी बड़ी संख्या है।

शांतिप्रियता के मूल्यांकन में, यह सूचकांक (GPI) उस वितान का अन्वेषण करता है जहाँ तक देश निरंतर चलते घरेलू एवं अंतर्राष्ट्रीय संघर्षों में शामिल होते हैं। यह किसी देश के भीतर सुस्वरता अथवा विस्वरता के स्तर का भी मूल्यांकन करता है। इस सूचकांक का अभिकथन यह होता है कि निम्न अपराध दरें, आतंकवादी हरकतों एवं हिंसक प्रदर्शनों की यथासंभव न्यूनतम घटनाएँ, पड़ोसी देशों के साथ सद्भावपूर्ण संबंध, एक स्थिर राजनीतिक परिदृश्य तथा जनसंख्या के किसी छोटे हिस्से को शरणार्थियों के रूप में आंतरीकृत कर पुनःस्थापित करना शांतिप्रियता के संसूचक हो सकते हैं। वर्ष 2018 के GPI सूचकांक (GPI) के आधार पर भारत का स्थान 136वाँ है।

बोध प्रश्न 2 (नीचे दिए गए स्थान में अपना उत्तर लगभग 50–100 शब्दों में दें।)

1) 'वैश्विक सार्वजनिक वस्तुओं' (GPGs) को विश्व बैंक किस प्रकार परिभाषित करता है?

.....

.....

.....

.....

.....

2) वैश्विक सार्वजनिक वस्तुओं के अभिलक्षण बताएँ। इन वस्तुओं को मूलतः कैसे निर्धारित किया जाता है?

.....

.....

.....

.....

.....

3) वैश्विक सार्वजनिक वस्तुओं का वर्गीकरण किस प्रकार किया जाता है? यह वर्ग-निर्धारक अभिलक्षण किस प्रकार उपयोगी सिद्ध होता है?

.....

.....

.....

.....

.....

4) विश्व शांति सूचकांक (GPI) से आप क्या समझते हैं? यह सूचकांक 'विश्व शांति' को किस प्रकार मापता है?

.....

.....

.....

.....

.....

5) किसी क्षेत्र को 'शांतिप्रिय' माने जाने हेतु विश्व शांति सूचकांक (GPI) द्वारा विचारार्थ लिए जाने वाले कोई पाँच कारक बताएँ।

.....

.....

.....

.....

.....

6.4 पर्यावरण एवं गरीबी निवारण विषयक जीपीजी संदर्श

सार्वजनिक वस्तुएँ वैयक्तिक क्षेम में योगदान देती हैं। किंतु इन वस्तुओं को वैयक्तिक उत्पादनकर्ताओं द्वारा प्रदान नहीं किया जा सकता। ऐसा इनमें से अनिवार्य अभिलक्षणों के कारण होता है – (i) उनके स्वामित्व अधिकार गैर-अपवर्ज्य (अथवा अपूर्णतः अपवर्ज्य) होते हैं अर्थात् कोई भी व्यक्ति उनके लाभों से वर्जित नहीं किया जा सकता अथवा वह उनके नकारात्मक प्रभाव से नहीं बच सकता, तथा (ii) ये प्रयोग में अप्रतिस्पर्ध्येय होते हैं अर्थात् किसी एक व्यक्ति द्वारा किए जाने वाले प्रयोग की किसी दूसरे व्यक्ति द्वारा किए जाने वाले प्रयोग से स्पर्धा नहीं होती। उक्त दोनों अभिलक्षणों के कारण, व्यक्तिगत प्रयोग का यथोचित रूप से मूल्य नहीं आँका जा सकता, न ही यहाँ मुफ्तख़ोरी को टाला

जा सकता है और इन वस्तुओं को प्रदान करने में बाज़ार प्रतिनिधिक रूप से निफल रहते हैं। इसीलिए, विशिष्ट सार्वजनिक वस्तुओं की व्यवस्था करने के लिए, नीति-हस्तक्षेप, वह सामूहिक कार्रवाई आयोजित करने हेतु आवश्यक होते हैं, जिसकी शुरुआत संलिप्त अभिकर्ताओं के बीच समझौतों से होती है। यह संकल्पना निर्णयन् के विभिन्न स्तरों हेतु प्रासंगिक होती है। उदाहरण के लिए, इसका प्रयोग गरीबी घटाने के मुद्दे पर और विश्व-पर्यावरण प्रबंधन में भी किया जा सकता है। जीडीपी अर्थात् वैश्विक सार्वजनिक वस्तुएँ (GPG's) प्रदान करना विशेष रूप से चुनौतीपूर्ण होता है क्योंकि इसमें अनेक देशों एवं पणधारियों के सम्मिलन वाले सहयोग एवं सामूहिक कार्रवाई अपेक्षित होते हैं। वैश्विक सार्वजनिक वस्तुओं के उदाहरण हैं– ओज़ोन परत का संरक्षण, शांति एवं समष्टि-अर्थशास्त्रीय स्थिरता। विकास और गरीबी निवारण, अन्य वस्तुओं के साथ-साथ, पर्यावरणीय वस्तुओं के प्रावधान पर भी निर्भर करते हैं, जिनमें से कुछ सार्वजनिक एवं वैश्विक होती हैं तो कुछ स्थानीय (जैसे– मृदा-संरक्षण) और अन्य निजी (जैसे– जिंसें अर्थात् उपभोज्य वस्तुएँ) भी। उक्त वस्तुओं (GPGs) की तीन श्रेणियाँ जो गरीबी निवारण एवं विश्व-पर्यावरण परिवर्तन हेतु प्रासंगिक हैं, इस प्रकार है :

- वे 'पर्यावरणीय वस्तुएँ (GPG's) जो विभिन्न स्तरों पर गरीबी घटाने के लिए अपनी प्रासंगिकता दर्शाती हैं;
- वे 'सामाजिक-आर्थिक वस्तुएँ' (GPG's) जो पर्यावरण में परिवर्तन एवं प्राकृतिक संसाधनों के बढ़ते अभाव से प्रभावित होती हैं; तथा
- वे 'क्षमता संबंधी वस्तुएँ' जो उक्त वस्तुएँ (GPG's) प्रदान करने के लिए विश्व स्तर पर सामूहिक कार्रवाई करवाने के लिए आवश्यक होती हैं।

6.4.1 वैश्विक सार्वजनिक वस्तु स्वरूप ज्ञान

सामाजिक-आर्थिक विकास ज्ञान का सृजन किए जाने, उसे आत्मसात् किए जाने और उसे विसरित किए जाने हेतु क्षमता के साथ नियमनिष्ठतः जुड़ा है। ज्ञान के आर्थिक अभिलक्षणों का विश्लेषण करते हुए, अनेक विचारकों (जैसे– रिचर्ड नेल्सन, 1959; कैनथ ऐरो, 1962) ने इस बात पर ध्यान दिया कि ज्ञान एक ऐसी उपभोज्य वस्तु है जो अन्य वस्तुओं से नितांत भिन्न है। एक ओर, इसका सृजन प्रतिस्पर्धात्मक उद्देश्यों हेतु किया जाता है। जैसे– सेवाएँ और कंपनियाँ अपने प्रतिद्वंद्वियों के विरुद्ध प्रयोग किए जाने के लिए नवीन एवं श्रेष्ठतर ज्ञान विकसित करने के लिए समय और धन का निवेश करती हैं)। दूसरी ओर, ऐसा किंचित् ही होता है कि वे जो ज्ञान का सृजन करते हैं, उसे एक सीमित समय-सीमा से परे अपने निजी लाभ के लिए ही सुरक्षित रख लें। इसका अर्थ है कि न तो औद्योगिक एवं सैन्य गोपनीयता और न ही बौद्धिक संपदा अधिकार, आगे चलकर, ज्ञान के प्रसार में अड़चन डाल सकते हैं। ज्ञान सृजन करने वालों का एक बड़ा हिस्सा (विद्वानों एवं उनके विश्वविद्यालय/संस्थान समेत) अपने परिणामों का प्रसार महज इस संतुष्टि के लिए करता है कि वे लोग अपनी उपलब्धियों को स्वीकृत होते और अपना यश बढ़ते देख सकें। वस्तुतः, ज्ञान का प्रसार ही उनके क्रियाकलाप का परम लक्ष्य होता है।

ज्ञान के घटकों को पहचानना आसान नहीं होता, जो कि 'निजी' अथवा 'सार्वजनिक', 'राष्ट्रीय' अथवा 'वैश्विक' होते हैं (नेल्सन, 1992)। इन मुद्दों पर बहस प्रायः भावपूर्ण होती है, ख़ासकर जब उनके निहितार्थ नियामक हों; जैसे– क्या ज्ञान का सृजन हर व्यक्ति के लाभार्थ किया जाए? क्या किसी जानकारी या ऐसे ज्ञान को गोपनीय (अथवा स्वाम्य) रखना उचित है जो स्वास्थ्य अथवा सुरक्षा हेतु निर्णायक निहितार्थपरक हो? क्या किसी देश के करदाताओं के पैसे से सृजित ज्ञान के परिणाम को दुनियाभर में फैला दिया जाना चाहिए? ये मुद्दे न सिर्फ सैद्धांतिक हैं बल्कि इनमें दूरगामी प्रायोगिक प्रासंगिकता संबंधी महत्त्वपूर्ण नीति-निहितार्थ भी शामिल हैं। इनको निम्नवत् प्रस्तुत किया जा सकता है –

- सार्वजनिक संस्थाओं, नियमों एवं विनियमों को आविष्कारकों एवं नवप्रवर्तकों के बौद्धिक संपदा अधिकारों का संरक्षण किस हद तक करना चाहिए?

- क्या विश्वविद्यालयों और संस्थाओं को उन विचारों से लाभ कमाना चाहिए जिनका वे सृजन करते हैं?

- क्या राष्ट्रीय संस्थाओं को अपने यहाँ सृजित ज्ञान अपने प्रतिद्वंद्वी देशों के विद्वानों एवं छात्रों को मुफ्त मुहैया करा देना चाहिए?

ज्ञान किसी सार्वजनिक वस्तु के कुछ ही अभिलक्षण दर्शाता है, यह उपभोग में विशेषकर गैर-प्रतिस्पर्ध्येय है। ऐसी आर्थिक एवं सांस्थानिक विधियाँ भी हैं जो ज्ञान को संभवतः अपवर्ज्य बनने देती हैं, परंतु वे पूरी तरह कभी प्रभावकारी नहीं होतीं। ज्ञान उस वक्त बहुत कुछ किसी अमिश्रित सार्वजनिक वस्तु की भाँति होता है जब उसे 'टर्न' की (अर्थात् तत्काल प्रयोगार्थ तैयार वस्तु) आधार पर प्रयोग किया जाता है, यानी जब प्रयोगकर्ताओं से यह अपेक्षित न हो कि वे जानें कि यह कैसे कारगर सिद्ध होगा और इसे कैसे विकसित किया गया। अधिकांश मामलों में, प्रयोगकर्ताओं को ज्ञान का प्रयोग करना सीखना होता है, और जितना अधिक वह परिष्कृत और जटिल होगा उतना ही अधिक उसमें समय एवं संसाधनों का निवेश अपेक्षित होगा। इन उदाहरणों में, जबकि ज्ञान का प्रयोग निःशुल्क हो तो भी उसे केवल सापेक्षिक लागतें वहन करके ही इस्तेमाल किया जा सकता है। अतएव, जो बात ज्ञान को सार्वजनिक वस्तुओं से भिन्न दर्शाती है, वह संबद्ध उत्पादन प्रक्रिया नहीं होती, बल्कि उसकी प्रसार प्रक्रिया होती है। इस पहलू पर मानक आर्थिक सिद्धांत में नहीं के बराबर ध्यान दिया गया है।

ज्ञान भी क्षेम के लिए इतना महत्त्वपूर्ण होता है और वस्तु के रूप में उसके अभिलक्षण इतने भिन्न, कि राजकीय अभिकर्ताओं को सदैव उसके प्रोत्साहन एवं वितरण में एक बेहद सक्रिय भूमिका मिली है। राजकीय नीतियाँ एवं विनियम सभी देशों में, उत्तम विचारों के उत्पादनकर्ताओं को प्रतिफल देने, ज्ञान में निवेश बढ़ाने तथा अपनी खोजों को अनावृत्त करने हेतु आविष्कारकों को प्रेरित करने पर अभिलक्षित होते हैं। सरकारों में ज्ञान को युद्ध जीतने, सुरक्षा बढ़ाने, जन-स्वास्थ्य सुरक्षित करने, अंतरिक्ष का अन्वेषण करने, संचार-व्यवस्था सुधारने एवं शिक्षा एवं शिक्षा प्राप्ति को उन्नत करने के लिए प्रोत्साहन दिया है। नीति-निर्माता संभवतः ज्ञान के 'लोकहित' अभिलक्षणों को पूर्णतः न समझ पाते हों, परंतु इस तथ्य को वे निश्चय ही महत्त्व देंगे कि ज्ञान के सृजन एवं प्रसार में सशक्त सकारात्मक बाह्यताएँ निहित होती हैं।

बौद्धिक संपदा अधिकार (IPRs) संरक्षण सुस्पष्ट रूप से 'ज्ञान' को अपवर्ज्य बनाने पर अभिलक्षित है ताकि उसकी नकल रोकी जा सके और उसकी आगे बिक्री की संभावना पर लगाम कसी जा सके। इन अधिकारों (IPRs) की आवश्यकता वहाँ नहीं होती जहाँ प्रौद्योगिकी की जालसाज़ी अवरुद्ध करने की तकनीकी युक्तियाँ कारगर हों। ऐसी स्थिति में, सामान्य स्वामित्व अधिकार ही पर्याप्त आश्वासन दे देते हैं। इन अधिकारों (IPRs) हेतु तर्काधार, इसी तथ्य पर आधारित है कि ज्ञान अपने आप में प्रायः गैर-अपवर्ज्य होता है। चूँकि उक्त अधिकारों (IPRs) का सुस्पष्ट उद्देश्य 'अव्यक्त ज्ञान' को एक ऐसे उत्पाद में बदल देना है जो अपवर्ज्य हो, यह प्रतीत होता है कि इन अधिकारों संबंधी सरकार की नीति में कहीं अंतर्विरोध है। ऐसा इसलिए है कि एक ओर, यह एक अमिश्रित सार्वजनिक वस्तु के अभिलक्षण दर्शाने वाले ज्ञान के सृजन एवं प्रसार को प्रोत्साहित करती है, जबकि दूसरी ओर, वह अपने बौद्धिक-संपदा-अधिकार कानून के माध्यम से उसे अपवर्ज्य बनाकर 'निजी वस्तु' का दर्ज़ा दे देती है। अतः, ज्ञान एक 'सार्वजनिक वस्तु' स्वरूप संबंधी उक्त अधिकारों (IPRs) के अभिकल्प हेतु एक प्रत्यक्ष निहितार्थ दर्शाता है। इनको सशक्त अथवा अशक्त बनाने के लिए सरकारों के पास ढेरों उपाय होते हैं (जैसे– (i) आविष्कर्ताओं को प्रदत्त संरक्षण की समयावधि; (ii) कोई एकस्व प्रदान किए जाने हेतु अर्हता प्राप्त करने के लिए विलक्षणता संबंधी वांछनीयताएँ; (iii) अतिलंघनों विषयक विवादों पर न्यायालयों के निर्णय; (iv) जालसाज़ियों के विरुद्ध पुलिस द्वारा आश्वस्त

किए गए प्रवर्तन का स्तर; आदि)। वैश्विक सार्वजनिक वस्तुओं की संवीक्षा में आवश्यक है कि सरकारें उक्त अधिकारों (IPRs) को सशक्त बनाने व उसके द्वारा संस्थागत अपवर्ज्यता को प्रोत्साहित करने हेतु जितने फैसले लेंगी, उतनी ही अधिक वरीयतापूर्ण के क्षेत्रों में ज्ञान को बढ़ावा देने हेतु उन्हें अन्य माध्यम प्रयोग करने की आवश्यकता पड़ेगी। इन वरीयता क्षेत्रों में शामिल हैं– स्वास्थ्य, पर्यावरण, संचार, परिवर्तनशीलता एवं सुरक्षा, जो सभी नए ज्ञान के विकास की अपेक्षा करते हैं। ऐसे क्षेत्रों में, नई वैज्ञानिक एवं प्रौद्योगिकीय सक्षमताएँ किसी एक देश तक ही सीमित रहने से दूर का वास्ता रखती हैं। एक ओर, कोई भी महत्त्वपूर्ण नई खोज उस देश की सीमाओं से परे प्रभाव डालती है जहाँ वह ज्ञान वस्तुतः सृजित हुआ होता है। दूसरी ओर, इस बात की प्रबल संभावना होती है कि सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण ज्ञान वे बातें दर्शाती हों जो कि अन्य स्थानों पर घटी परिवर्तनकारी घटनाओं का परिणाम हों। इसके बावजूद, अनेक राष्ट्रीय सरकारें इस अव्यक्त अवधारणा पर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संबंधी अपनी निजी कार्यसूची तैयार करती हैं कि आज नहीं तो कल अन्यत्र निधिकृत एवं निष्पादित मूल अनुसंधानों से उन्हें भी लाभ मिलेगा ही। परंतु जब इस प्रकार की प्रवृत्ति आम हो जाती है तो मुफ्तखोरी संलक्षण अभिभावी हो जाती है, यथा, हर देश इस प्रलोभन में पड़ा रहेगा कि कोई समाधान खोजने में अन्य देश पैसा लगाएँगे ही, थोड़ा इंतज़ार सही। यह, परिणामस्वरूप, उस वस्तु विशेष के अल्पोत्पादन की ओर अग्रसर करेगा।

सार्वजनिक वस्तुओं को 'वैश्विक' तब माना जाता है जब वे देशों के किसी वृहद् समूह तक जाती हों और जब लाभार्थियों के किसी भौगोलिक रूप से प्रतिबंधित समुदाय को पहचानना मुश्किल अथवा असंभव हो। वित्तीय स्थिरता, शांति, जलवायु परिवर्तन से संघर्ष एवं संचारी रोग सार्वजनिक वस्तुओं के कुछ ऐसे उदाहरण हैं जो कोई स्पष्ट भौगोलिक स्थान नहीं दर्शाते क्योंकि प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से वे हर व्यक्ति को प्रभावित करते हैं। इस भौगोलिक निकष के अलावा, कौल व अन्य (1999) एक लौकिक आयाम के अस्तित्व पर भी बल देते हैं, यथा, वे हित-वस्तुएँ (अथवा अहित-वस्तुएँ) जो न सिर्फ वर्तमान पीढ़ी को, बल्कि भावी पीढ़ी को भी, लाभ (अथवा क्षति) पहुँचा सकती हैं। अतएव, यद्यपि ज्ञान सार्वजनिक वस्तुओं के प्राधार में पूरी तरह सही नहीं बैठता, यह निश्चय ही एक 'वैश्विक वस्तु' है क्योंकि ऐसा किंचित् ही अवसरों पर होता है, और वह भी अल्प समयावधियों के लिए कि संस्थाएँ एवं कंपनियाँ अपने ज्ञान को अपनी परिरुद्ध सीमाओं के भीतर छिपाए रख सकें। अति गोपनीय अन्वेषणों के मामलों तक में, जैसे सैन्य क्षेत्र से जुड़े मामले, ज्ञान के प्रतिद्वंद्वी देशों तक अधिप्लावित हो जाने की संभावना होती है। अतः, अपवर्ज्यता अल्पावधि के लिए तो संभव हो सकती है, परंतु आगे चलकर वह अल्प से अल्पतर होती जाएगी। यदि भावी पीढ़ी पर प्रभाव को भी लेकर चला जाए तो यह कल्पना करना कठिन होगा कि कैसे कोई ज्ञान किसी विशिष्ट स्थान अथवा राष्ट्रीय समुदाय को तो लाभ पहुँचा सकता है परंतु अन्य सभी को नहीं।

सरकारी संस्थाएँ, राष्ट्रीय शैक्षिक समुदायों के सदस्य एवं अन्य सार्वजनिक रूप से निधिकृत संस्थाओं के सदस्य सदैव विदेशी सहकर्मियों के साथ अपनी बुद्धिमानी, गहन जानकारियों एवं दृष्टिकोणों को आदान-प्रदान करने की एक प्रबल प्रवृत्ति रखते हैं। विचारों के अंतर्राष्ट्रीय प्रसार का ज़िम्मा लेने हेतु प्रयुक्त कुछ साधन हैं – शैक्षिक समितियाँ, अंतर्राष्ट्रीय पत्रिकाएँ, सम्मेलन, विश्रांति वर्ष एवं गतिशीलता अनुदान। राष्ट्रीय सरकारों ने शैक्षिक समुदाय को सीमापार सहयोग हेतु स्वतंत्र रहने के लिए प्रोत्साहित किया है क्योंकि यह जागरूकता दिखाई पड़ती है कि परिणाम या लाभ गैर-प्रतिस्पर्ध्येय होते हैं और इसी कारण उन्हें, सीमाओं के भीतर ओर सीमा पार समान रूप से, गैर-अपवर्ज्य भी बनाया जाना चाहिए। इसके अलावा, एक स्पष्ट स्वार्थ या आत्महित भी दृष्टिगत होता है, यथा, सहयोग का निहितार्थ न सिर्फ ज्ञान का बहिर्वाह होता है, बल्कि अंतर्वाह भी होता है।

लोग संभवतः उस ज्ञान से लाभान्वित होते हैं जो अन्यत्र सृजित हुआ हो और प्रायः अन्य देशों के करदाताओं द्वारा उसका खर्च उठाया गया हो। मुफ्तख़ोर के रूप में व्यवहार करने की प्रवृत्ति ज्ञान के नितांत अभिलक्षणों से निरुद्ध होती है। एक ओर, पर्याप्त निवेश

न करने वाले देशों के पास अपेक्षाकृत निम्न अवशोषण क्षमता होगी और वे अन्यत्र सृजित वस्तु को व्यवहार में लाने में अपेक्षाकृत सुस्त अथवा अदक्ष होंगे। दूसरी ओर, ज्ञान में अपेक्षाकृत अधिक निवेश करने वाले देशों की गिनती उनमें भी होगी जो अन्यत्र सृजित ज्ञान को समझने एवं आत्मसात् करने में सक्षम होंगे। दूसरे शब्दों में, देश अपने उस पैसे को पूँजी में परिणत करने में सक्षम होते हैं जो उन्होंने ज्ञान-सृजन में खर्च किया हो। इस प्रकार, 'पीछे से आने वाले देशों' द्वारा वैज्ञानिक एवं प्रौद्योगिकीय विशेषज्ञता से लाभान्वित होने की संभावना अवशोषक (अथवा मुफ्तख़ोरी कर रहे) देशों की क्षमताओं के स्तर द्वारा निरुद्ध होती है। यह एक विशिष्ट उदाहरण है जहाँ निःशुल्क उपलब्ध ज्ञान और बिना लागतें उपगत किए प्रयोग किए जा सकने वाले ज्ञान के बीच अंतर प्रासंगिक हो जाता है। बेशक ज्ञान के महत्त्वपूर्ण अंश निःशुल्क उपलब्ध हों, इसका अर्थ यह नहीं कि अन्य देश बिना आवश्यक अवसंरचनाओं एवं कौशलों के ही हस्तांतरण का लाभ उठाने में सक्षम हो जाएंगे। वे देश जो सृजित ज्ञान को आत्मसात् करने में सफल रहे हैं, उनकी गिनती उनमें भी है जिन्होंने अंतर्जात अवसंरचनाओं, यथा अनुसंधान एवं विकास तथा शिक्षा, में बड़ा निवेश किया है। 1950 व 1960 के दशकों में जापान, 1970 व 1980 के दशकों में दक्षिण कोरिया व ताइवान और सन् 2000 के प्रथम दशक में चीन– ये सब उन देशों के उदाहरण हैं जिन्होंने अन्यत्र सृजित ज्ञान से लाभ उठाया था क्योंकि उन्होंने उसे अर्जित करने के लिए अत्यधिक अंतर्जात प्रयास किया था। ज्ञान को एक अमिश्रित सार्वजनिक वस्तु के रूप में लिया जाना इसीलिए इस विचार का प्रसार हो जाने के जोखिम से भरा है कि विकासशील देश उस स्थिति में विकसित देशों की सक्षमताओं से लाभान्वित हो सकते हैं यदि परवर्ती 'हस्तांतरण में अवरोध' हटा लेने को तैयार हो जाएँ। स्पष्ट है कि यह अनुचित होगा क्योंकि संस्थागत रुकावटें (जैसे–IPRs) अथवा आर्थिक बाधाएँ (जैसे –औद्योगिक गोपनीयता) ज्ञान के प्रयोग में मुख्य व्यवधान नहीं हैं। विकासशील देशों के सामने मुख्य बाधा है– 'अंतर्जात अवशोषी क्षमताओं' का अभाव।

व्यापार क्षेत्र ज्ञान के विकास में अपनी भूमिका न सिर्फ सीमाओं के भीतर, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय रूप से भी बढ़ा रहा है। कंपनियाँ अनुसंधान एवं विकास करवाने, कौशलों का स्तरोन्नयन करने, तकनीकी एवं अभियांत्रिकी क्षमताओं का प्रसार करने, देश व विदेश दोनों में, योगदान दे रही हैं। फर्मों का, इसीलिए, किसी राष्ट्रीय क्षेत्र से जुड़ा रहना कम से कमतर होता जा रहा है। अपने देश से बाहर किए जाने वाले उनके क्रियाकलाप, अनुसंधान एवं विकास समेत, संतोषजनक रूप से बढ़े हैं। अनेक अग्रणी बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने अपने निजी अंतःफर्म एवं अंतर्राष्ट्रीय नवप्रवर्तन केंद्र अन्य देशों में स्थापित कर लिए हैं। फर्मों द्वारा लाए जाने वाले नए उत्पादों को अंतर्राष्ट्रीय बाज़ारों में खरीदा-बेचा जाता है। इसी प्रकार, नई प्रक्रियाओं की सूक्ष्म जाँच एवं प्रसार प्रतिस्पर्धियों द्वारा देश और विदेश में की जाती है। अंततोगत्वा, इसीलिए, ज्ञान-सृजन से जुड़ी बाह्यताएँ किसी देश विशेष तक ही कम से कम सीमित होती जा रही हैं। इसीलिए, अब यह प्रश्न उठता है कि 'बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा सृजित ज्ञान किस हद तक निजी अथवा सार्वजनिक है जबकि अनुसंधान एवं विकास तथा नवप्रवर्तन में उनका निवेश बहुराष्ट्रीय (बल्कि सर्व-राष्ट्रीय) होता है?' यह विशेष रूप से महत्त्वपूर्ण है क्योंकि वे राष्ट्रीय सीमाओं के परे सार्थक बाह्यताएँ उत्पन्न करते हैं। इसी कारण, बहु-राष्ट्रीय कंपनियाँ, ज्ञान के अंतर्राष्ट्रीय प्रसार हेतु महत्त्वपूर्ण वाहक हैं। वे अपने ज्ञान को अपने ही पास रख लेने का अनिवार्यतः प्रयास नहीं करतीं, बल्कि प्रायः 'उन कौशलों के लिए उर्वरकों का काम करती हैं जो मेज़बान देशों से प्राप्त कर वहीं और विकसित किए गए होते हैं।

बोध प्रश्न 3 (नीचे दिए गए स्थान में अपना उत्तर लगभग 50–100 शब्दों में दें।)

1) वैश्विक सार्वजनिक वस्तुओं (GPGs) की वे तीन श्रेणियाँ बताइए जो गरीबी घटाने और पर्यावरण संरक्षण करने हेतु प्रासंगिक हैं।

.....

.....

.....

.....

.....

2) क्या 'ज्ञान' एक 'सार्वजनिक वस्तु' है? क्यों?

.....

.....

.....

.....

.....

3) यदि आप मान लें कि 'ज्ञान' प्रायः एक 'अमिश्रित सार्वजनिक वस्तु' नहीं हुआ करता, तो किस आधार पर बौद्धिक संपदा अधिकारों (IPRs) के पक्ष में तर्क दिये जाएंगे?

.....

.....

.....

.....

.....

4) किसी 'सार्वजनिक वस्तु' को एक 'वैश्विक सार्वजनिक वस्तु' (GPG) कब मान लिया जाता है? इन वस्तुओं (GPGs) के उदाहरण दें।

.....

.....

.....

.....

.....

5) किस आधार पर कौल व अन्य (1999) कहते हैं कि यद्यपि 'ज्ञान' एक 'सार्वजनिक वस्तु' नहीं हो सकता, यह निश्चय ही एक 'वैश्विक सार्वजनिक वस्तु' के रूप में मान्यता प्राप्त है?

.....

.....

.....

.....

.....

6) क्या आप मानते हैं कि 'ज्ञान' के उदाहरण में, मुफ्तख़ोरी की संभावना अव्यक्त रूप से संक्षिप्त की गई है? कैसे?

.....

.....

.....

.....

.....

6.5 सारांश

इस इकाई में टाइबाउट मॉडल, सहस्राब्दि विकास लक्ष्यों, शांति एवं सुरक्षा, पर्यावरण तथा ज्ञान की मदद से 'स्थानीय सार्वजनिक वस्तुओं' और 'वैश्विक सार्वजनिक वस्तुओं' संबंधी अवधारणाओं को स्पष्ट किया गया है। टाइबाउट मॉडल स्थानीय सार्वजनिक वस्तुओं के प्रावधान हेतु प्रतिस्पर्धी बाज़ार की विद्यमानता की व्याख्या करता है। ज्ञान के कुछ अभिलक्षण सार्वजनिक वस्तु वाले हैं, जैसे– उपभोग में गैर-प्रतिस्पर्ध्येय होना और आगे चलकर गैर-अपवर्ज्य। परंतु ज्ञान का हस्तांतरण निम्न अथवा नगण्य लागतों पर नहीं किया जा सकता, यानी प्रत्याशित प्रयोगकर्ताओं को अपनी 'अवशोषी क्षमता' विकसित करने के लिए निवेश करना होता है। परिणामतः, ज्ञान में मुफ्तख़ोरी अमिश्रित सार्वजनिक वस्तुओं की अपेक्षा कम सफल होने की संभावना होती है। यह पहलू राष्ट्रीय एवं वैश्विक नीतियों के लिए महत्त्वपूर्ण निहितार्थ रखता है।

6.6 शब्दावली

मुफ्तख़ोरी की समस्या : सार्वजनिक वस्तुओं के उपभोग अभिलक्षणों में गैर-अपवर्ज्यता एवं गैर-प्रतिस्पर्ध्येयता के कारण, कोई भी व्यक्ति यह सोचकर उसके लिए भुगतान करने का इच्छुक नहीं होता कि उसे उससे वंचित किए जाने की कोई संभावना नहीं है।

टाइबाउट मॉडल : इस मॉडल के अनुसार, वे व्यक्ति जो अपने नगर द्वारा प्रदान की जा रही वस्तुओं एवं सेवाओं से संतुष्ट नहीं होते, ऐसे किसी स्थान की ओर पलायन कर अपनी कल्याण दशा सुधार सकते हैं जो उनके अधिमानों के साथ कहीं अधिक समरसता में वस्तुओं एवं सेवाओं का तालमेल प्रस्तुत कर रहे हों।

क्लब का आर्थिक सिद्धांत : इस सिद्धांत के अनुसार, समूह का आकार सामूहिक स्वामित्व-उपभोग व्यवस्थाओं का एक सैद्धांतिक प्राधार प्रदान कर किसी सार्वजनिक वस्तु के स्वैच्छिक प्रावधान को प्रभावित करता है।

सार्वजनिकता का त्रिभुज : उपभोग में सार्वजनिकता, निर्णयन् में सार्वजनिकता तथा निवल लाभों के वितरण में सार्वजनिकता।

6.7 कुछ उपयोगी पुस्तकें

1) Aronson, J. Richard (1985). *Public Finance,* McGraw Hill Book Company, International Student Edition.

2) Arrow, Kenneth. (1962). 'Economic Welfare and the Allocation of Resources for Invention' in the Rate and Direction of Investment Activity: Economic and Social Factors, edited by Richard Nelson for the *NBER* , 609-626. Princeton: Princeton University Press.

3) Ostrom, M. (1990). *Governing the Commons: The Evolution of Institutions for Collective Action,* Cambridge University Press.

6.8 बोध प्रश्नों के उत्तर अथवा संकेत

बोध प्रश्न 1

1) स्थानीय सार्वजनिक वस्तुएँ मुख्यतः स्थानीय जनसमुदाय के उपभोगार्थ स्थानीय प्राधिकरणों/सरकारों द्वारा स्थापित 'साझा संपदा संसाधन' होते हैं। इनके उदाहरण हैं – जलापूर्ति एवं मलजल व्ययन, स्ट्रीट लाइट्स एवं खड़ंजा, अपशिष्ट प्रबंधन, पार्क एवं आमोद-प्रमोद स्थल, सड़कें एवं यातायात प्रबंधन, आदि।

2) अंतर स्थानीय सार्वजनिक वस्तुओं के प्रावधान में जनता अथवा उपभोक्ता चयनों को ध्यान न रखा जाना है। यह अंतर इस तथ्य के कारण होता है कि हर ऐसी वस्तु (LPG) के प्रावधान में उपभोक्ता चयनों पर विचार किया जाना दुष्कर होता है और लोकतंत्रों में निर्वाचित नेता ही यह निर्णय करता है, जो कि संभवतः उपभोक्ता के चयन को न दर्शाता हो। सिद्धांततः, यह अंतर टाइबाउट सिद्धांत अथवा मॉडल से पाटा जा सकता है।

3) अनिवार्यतः, टाइबाउट किसी भी उपभोक्ता को एक ऐसी गतिशील स्थिति में रखते हैं जहाँ वह कम संतुष्टि (अथवा अधिमान) के स्थापन से उस स्थान की ओर पलायन कर सकता है जहाँ अधिक संतुष्टि अथवा अधिमान प्राप्त होता हो। यह गतिशीलता टाइबाउट सिद्धांत के उपभोक्ता हेतु वांछित 'स्थानिक अभिलक्षण' को दर्शाता है। सारतः, यह गतिशीलता खरीददारी के लिए उपभोक्तावर्ग को बाज़ार-सरीखा ऐसा स्थान मुहैया कराता है जहाँ बस कर वे स्थानीय सार्वजनिक वस्तुओं हेतु एक लुप्त-बाज़ार प्रमाणित कर सकें।

4) (i) स्थानीय सार्वजनिक वस्तुएँ प्रदान करने में विकेंद्रीकरण तब तक कायम रखा जाए जब तक कि उनका समेकन यह न सिद्ध कर दें कि स्थानीय सावर्जनिक वस्तुएँ उसी औसत लागत पर मिलेंगी। (ii) वे नीतियाँ जो निवासियों की गतिशीलता को बढ़ावा देती हैं, सार्वजनिक व्यय पर लाभ अधिकतम करती हैं। (iii) अपेक्षाकृत छोटे स्थान नागरिक अधिमानों के बराबर दक्षतापूर्वक व्यय करते हैं, जिससे 'नियत राजस्व-व्यय प्रतिमान' को अपनाने में स्थानीय प्राधिकरण दक्षता का पालन कर पाते हैं।

5) (i) एक प्राधिकरण-केंद्रित दृष्टिकोण हेतु बड़े महानगरीय क्षेत्रों में 'संकुलन एवं आकारिक मितव्ययता' के प्रभाव की उपेक्षा करना; (ii) 'समता' के उस आयाम की उपेक्षा करना जो 'अधिमानों के अनुसार लोगों की छँटाई' से उत्पन्न होता है; तथा (iii) बहुविध अधिकारक्षेत्र बड़े शहरों में 'विखंडन एवं प्रचुरोद्भव' संबंधी समस्याओं की ओर अग्रसर कर सकते हैं (जैसे– गंदी बस्तियों का उद्गमन)।

6) 'क्लब वस्तुएँ' (जैसे– निजी पार्क) सहज एकाधिकारों द्वारा प्रदान की जाती हैं और 'अपवर्ज्यता' संबंधी परंतु 'शून्य सीमांत लागत' वाले अभिलक्षण दर्शाती हैं।

सार्वजनिक वस्तुएँ (जैसे– 'राष्ट्रीय संरक्षा'), दूसरी ओर, अपनी प्रकृति में 'गैर-प्रतिस्पर्ध्येय' भी होती हैं और 'गैर-अपवर्ज्य' भी।

बोध प्रश्न 2

1) इस रूप में – 'विकास एवं गरीबी निवारण हेतु आवश्यक सीमापार बाह्यताओं वाली वस्तुएं, सेवाएँ एवं व्यवस्थाएँ (नियमों अथवा नीति शासन-व्यवस्थाओं संबंधी)'।

2) (i) अंतर्राष्ट्रीय निहितार्थ के साथ व्यक्तियों, समुदायों एवं राष्ट्रों द्वारा प्रदत्त सार्वजनिक वस्तुएँ; (ii) ये सार्वजनिक भागीदारी दर्शाती हैं; (iii) इनके लाभ सुलभता क्षमताओं एवं लागत पर निर्भर करते हैं; तथा (iv) ये विकासशील देशों की विशिष्ट समस्याओं हेतु वरीयताएं दर्शाती हैं।

3) यह मूलतः 'सार्वजनिकता के त्रिभुज' द्वारा निर्धारित होती हैं, यथा, उपभोग निर्णयन् एवं निवल लाभों के वितरण में 'सार्वजनिकता'। यह वैश्विक सार्वजनिक वस्तुओं की आपूर्ति हेतु कोई निष्पक्ष संस्थागत क्रियाविधि अभिकल्प करने में उपयोगी सिद्ध होता है।

4) विश्व शांति सूचकांक (GPI) इकोनोमिस्ट इंटैलीजैंस इकाई द्वारा संग्रहित आँकड़ों के साथ इंस्टीट्यूट फॉर इकोनोमिक्स एंड पीस (IEP) द्वारा प्रस्तुत एक रिपोर्ट है। यह किसी राष्ट्र (और क्षेत्र) की शांतिप्रियता की आपेक्षिक स्थिति मापता है। यह सूचकांक तीन विस्तृत प्रकरणों का प्रयोग कर विश्व-शांति को मापता है, यथा– (i) सामाजिक सुरक्षा एवं अभय का स्तर, (ii) लगातार चल रहे राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय विवाद की विस्तृति, तथा (iii) सैन्यीकरण की कोटि।

5) (i) निम्न अपराध दरें, (ii) आतंकवादी करतूतों और हिंसक प्रदर्शनों की कम घटनाएँ, (iii) पड़ोसी देशों के साथ समरसतापूर्ण संबंध, (iv) एक स्थिर राजनीतिक परिदृश्य, तथा (v) शरणार्थियों के रूप में आंतरिक रूप से पुनः बसाई गई आबादी का हिस्सा।

बोध प्रश्न 3

1) पर्यावरणीय GPGs, सामाजिक-आर्थिक GPGs और क्षमता-संबंधी GPGs।

2) नियमनिष्ठतः, 'ज्ञान' कोई अमिश्रित 'सार्वजनिक वस्तु' नहीं है क्योंकि उपभोग में गैर-प्रतिस्पर्ध्येयता होती है, बेशक ऐसी विधियाँ मौजूद हों जो 'ज्ञान' को संभवतः अपवर्ज्य बना सकती हैं। इसके अलावा, यदि इसे यह समझने में दिमाग लगाए बिना ही प्रयोग किया जाता है कि 'वह कैसे विकसित हुआ' अथवा 'वह कैसे कारगर सिद्ध होगा', तो ज्ञान एक अमिश्रित 'सार्वजनिक वस्तु' की अर्हता प्राप्त कर लेता है।

3) यह इस तथ्य से उत्पन्न होता है कि कोई भी तकनीकी युक्ति प्रौद्योगिकी की जालसाजी को अवरुद्ध नहीं कर सकती है। यदि ऐसा करना संभव होता तो सामान्य स्वामित्व अधिकार ही पर्याप्त होते। बौद्धिक संपदा अधिकारों हेतु तर्काधार इस तथ्य से जन्म लेता है कि 'ज्ञान अपने आप में प्रायः गैर-अपवर्ज्य होता है' परंतु 'ज्ञान' पर आधारित कोई भी उत्पाद अपवर्ज्य होता हैं।

4) सार्वजनिक वस्तुओं को उस स्थिति में 'वैश्विक' माना जाता है जब उनके अंतर्गत देशों का एक बड़ा समूह शामिल होता है और जब लाभार्थियों के किसी भौगोलिक रूप से प्रतिबंधित समुदाय को पहचानना मुश्किल अथवा असंभव होता है। उदाहरणों में शामिल हैं – वित्तीय स्थिरता, शांति, जलवायु परिवर्तन से मुकाबला तथा संचारी रोग।

5) उन्होंने ऐसा 'लौकिक आयाम' से परिचय कराकर किया। इस आयाम से परिचित हो जाने पर 'ज्ञान' किसी 'सार्वजनिक वस्तु' की भाँति ही हो गया। यद्यपि अल्पावधि में कंपनियों या फर्में इसे अपने अनत्य लाभ के लिए प्रयोग कर सकती हैं, परंतु एक बार लौकिक आयाम से परिचय हो जाने पर, दीर्घावधि में, कोई भी ज्ञान तभी लाभदायक होगा जब उसे व्यापक रूप से साझा किया जाएगा।

6) हाँ। ऐसा इसलिए है कि, मुफ्तख़ोरी के लिए भी, आवश्यक है कि देशों की 'अवशोषी क्षमता' बढ़ाने के लिए अतीत में निवेश किया गया हो।

ignou
THE PEOPLE'S
UNIVERSITY